

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION**

The 6th October, 2006

S.O. 98/H.A.6/2003/S 59/2006. – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. Web 12 /H.A.6/2003/S.59/2006, dated the 22nd September, 2006, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedules B and C appended to the said Act, with effect from 1st October, 2006, namely:-

Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003),-

1. in Schedule B-

- (i) after serial number 29 and entries thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
---	---

“29A Hawan Samagri when sold in sealed packets or containers”;

- (ii) after serial number 38 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
---	---

“38A Papad”;

2. in Schedule C-

- (i) after serial number 16B and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
---	---

“16C Candle”;

- (ii) after serial number 24 and entries thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
---	---

“24A Desi Ghee”.

L.S.M. SALINS,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 6 अक्टूबर, 2006

संख्या का0आ0 98/ ह0अ0 6 / 2003/ धा0 59/ 2006, – हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 12/ह0अ06/2003/धा059/2006, दिनांक 22 सितम्बर, 2006, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख तथा ग में दिनांक 1 अक्टूबर, 2006 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में,—

1. अनुसूची ख में,—

(i) क्रम संख्या 29 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

1	2
“29क	हवन सामग्री जब बंद पैकेटों या डिब्बों में बेची जाए।”;

(ii) क्रम संख्या 38 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

1	2
“38क.	पापड़”;

2. अनुसूची ग में,—

(i) क्रम संख्या 16 ख तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

1	2
“16ग	मोमबत्ती”;

(ii) क्रम संख्या 24 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

1	2
“24क	देसी घी” ।

एल.एस.एम. सालिन्स,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।